

400 सोलर चर्खों की खरीद व प्रशिक्षण के लिए 165 लाख रुपये जारी
लाभार्थियों के चयन हेतु परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी की अध्यक्षता में
चार सदस्यीय समिति का गठन
कत्तिनों को कच्चा माल उपलब्ध कराने और तैयार माल खरीदने की
व्यवस्था

लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2019

उत्तर प्रदेश सरकार ने खादी के उत्पादन को बढ़ाने तथा कत्तिनों की आय में वृद्धि करने के लिए 400 सोलर चर्खों की खरीद एवं प्रशिक्षण आदि के लिए 165 लाख रुपये जारी किए हैं। योजना के संचालन एवं चर्खे के वितरण हेतु गाइड लाइन भी बना दी गई है। साथ ही लाभार्थियों के चयन हेतु परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कत्तिनों को कच्चा माल उपलब्ध कराने से लेकर तैयार माल क्रय करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

यह जानकारी प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डा0 नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि योजना का संचालन प्रदेश में कार्यरत खादी संस्थाओं एवं बोर्ड के विभागीय खादी उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा। चर्खों का वितरण जनपद स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। साथ ही लाभार्थियों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरान्त खादी संस्थाओं अथवा बोर्ड द्वारा संचालित खादी उत्पादन केन्द्रों एवं वित्त पोषित संस्थाएं कच्चा माल उपलब्ध कराते हुए तैयार माल क्रय करेंगी। उन्होंने बताया कि सोलर चर्खे के वितरण के बाद प्रत्येक तीन माह पर चर्खे का संचालन, उत्पादन एवं उससे होने वाली आय का नियमित अनुश्रवण भी होगा। योजना को और अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए लाइवलीहुड मिशन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी।

डा0 सहगल ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता भी तय कर दी गई है। लाभार्थी को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। चयन में महिलाओं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा एससी/एसटी को वरीयता दी जायेगी। चयनित लाभार्थियों को चर्खे का वितरण बोर्ड द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके चर्खों के वितरण पर बल दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक जागरूकता उत्पन्न हो सके।

संपर्क सूत्र :-

सूचना अधिकारी-अमित यादव

रुबी संत / 03:35